संख्या- 91/2025/772/22-2-2024-17(984)/2023

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 जनवरी, 2025

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू पुत्र श्री तेज शंकर बाजपेयी, निवासी-जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-10913/प्रोबेशन-3/फार्म-ए/(एम-01.12.2022), दिनांक 22.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू पुत्र श्री तेज शंकर बाजपेयी, निवासी-शंकरपुर झिसनी, थाना-थानगांव, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दिनाँक 16/17.11.2006 को जमीनी एवं पुरानी रंजिश के कारण बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-271/2007, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 449 में मा0 विशेष न्यायाधीश,(ई0सी0एक्ट), सीतापुर के आदेश दिनाँक 23.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.02.2024 तक 17 वर्ष 03 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 03 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 19.02.2024 तक बन्दी की आयु 49 वर्ष 06 माह है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

सिद्धदोष बंदी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू पुत्र श्री तेज शंकर बाजपेयी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दिनाँक 16/17.11.2006 को जमीनी एवं पुरानी रंजिश के कारण बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू पुत्र श्री तेज शंकर बाजपेयीकी फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू (बन्दी संख्या-48397) पुत्र श्री तेज शंकर बाजपेयी, निवासी-शंकरपुर झिसनी, थाना-थानगांव, जनपद-सीतापुर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-91/2025/772(1)/22-2-2024, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को एस0एल0पी0 (क्रिमिनल) सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-91/2025/772/22-2-2024-17(984)/2023

दिनांकः 28 जनवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू पुत्र श्री तेज शंकर बाजपेयी, निवासी-शंकरपुर झिसनी, थाना-थानगांव, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दिनाँक 16/17.11.2006 को जमीनी एवं पुरानी रंजिश के कारण बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-271/2007, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 449 में मा0 विशेष न्यायाधीश,(ई0सी0एक्ट), सीतापुर के आदेश दिनाँक 23.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.02.2024 तक 17 वर्ष 03 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 03 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 19.02.2024 तक बन्दी की आयु 49 वर्ष 06 माह है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

सिद्धदोष बंदी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू पुत्र श्री तेज शंकर बाजपेयी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दिनाँक 16/17.11.2006 को जमीनी एवं पुरानी रंजिश के कारण बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू पुत्र श्री तेज शंकर बाजपेयी की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in